न्यायालय तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र–1049/2026

अनिल कुमार बनाम राज्य।

मु0अ0सं0–50/2026
धारा 316(2), 351(2) बी0एन0एस
थाना–राजपुर, देहरादून

दिनांक 24.03.2026

प्रार्थी अनिल कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री पारुल द्वारा वाहन पंजीयन संख्या UK07 HF 7420 को अवमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय के अभिकथन के साथ योजित किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त वाहन आदर्शवीर धवन को वर्ष 2025 में किराये पर दिया गया था, जिसको वापस नहीं किये जाने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.03.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। पुलिस द्वारा उक्त वाहन को बरामद कर लिया गया है जो कि थाना राजपुर में खड़ा है। वाहन के थाना परिसर में खड़े रहने से खराब होने की संभावना है। अतः प्रार्थी के वाहन को उसके पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाना राजपुर से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार, ''उपरोक्त मुकदमे में दौराने विवेचना वाहन महिन्द्रा थार पंजीयन संख्या UK07 HF 7420 को बरामद किया गया है, जो वर्तमान में चौकी जाखन, थाना–राजपुर में सुरक्षित खड़ा है।''

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में वाहन की आर0सी0 की प्रति व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि उक्त वाहन प्रार्थी अनिल कुमार के नाम पंजीकृत है, जिसे प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी होना दर्शित होता है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार उपरोक्त वाहन थाने पर सम्बन्धित मामले में खड़ा है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित वाद **जनरल इन्श्योरेंश काउन्सिल बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 6 एसीसी 768** एवं **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य एआईआर (2002) 10 एससीसी 283** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि अभिगृहीत यान सारभूत स्थल को ग्रहण करते है और मौसम की स्थिति के कारण शीघ्रता से प्रकृत्या क्षतिग्रस्त होने के भी अध्याधीन होते हैं और यदि उसे खडा करवाया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले यान अपनी सडक योग्यता को खो देता है तथा सामान्यतः उस यान के कलपुर्जो की या तो चोरी हो जाती है या वह निकाल लिये जाते हैं और यान चलाये जाने अयोग्य हो जाता है।

7. अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धान्त व मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत वाहन पंजीयन संख्या UK07 HF 7420 को प्रार्थी/वाहन स्वामी के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अधीन सुपुर्द किया जाता हैः–

1. प्रार्थी मुब0 14,00,000/–रुपये (चौदह लाख रूपये) की धनराशि का स्वयं का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू पेश करें।

2. प्रार्थी इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपरोक्त वाहन को अपने स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।

3. यह कि दौराने विचारण प्रार्थी/स्वामी, वाहन को न किसी को विक्रय करें, न किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगा और न ही उसके रंग, स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा।

8. अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष राजपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उक्त वाहन की फोटोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कर, उसे इस मामले में प्रार्थी/वाहन स्वामी **अनिल कुमार** के पक्ष में नियमानुसार निर्मुक्त करना सुनिश्चित करें।

(साहिस्ता बानो)
तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।